



## विचार बिन्दु

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। -धीरुभाई अंबानी

## तीन नए कानून - राहत या आफत ?

1 जुलाई 2024 से भारत में न्याय प्रक्रिया से संबंधित तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 25 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति को सौंपते हुए प्रेषित किया गया था। इन कानूनों का अर्थ है कि 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू हुए हैं। नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर, स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए, अधिक उपयुक्त कानून बनाए जाएं। एक उद्देश्य यह भी था कि न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों में अत्यधिक विलंब को देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सके।

सरकार, नए कानूनों को बहुत प्रगतिशील एवं नागरिकों के हित में बना रही है, वहीं इसका विरोध करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बता रहे हैं। अब हम नए कानूनों का जनता पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि इन कानूनों को उस समय संसद द्वारा पारित किया गया जब लोकसभा के 146 विपक्षी सांसदों को सदन से निकालकर निकाल दिया गया था। इस कारण, इन महत्वपूर्ण कानूनों पर, जितनी विस्तृत बहस संसद में होनी चाहिए थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। सरकार द्वारा बहुमत के बल पर ये कानून बिना द्विपक्षीय चर्चा के अनुमोदित करा दिए गए।

पहले हम नए कानून के द्वारा जनहित में बनाए गए कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी घटना की जोरो एफ आई आर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित क्यों न हुई हो? 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाना अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे किसी भी थाने द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में कई बार क्षेत्राधिकार के विवाद में कर दिया जाता है।

कुछ छोटे अपराधों में, सजा के स्थान पर सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान अमेरिका के कानून से लिया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रायश्चित्त करने का अवसर प्रदान करेगा। यह भविष्य को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारक कदम कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जो अंडर ट्रायल की तरह जेल में बंद हैं, उन्हें संबंधित अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक तिहाई समय पूरा होने पर उन्हें जेल से रिहा किया जा सकेगा। वर्तमान प्रावधान के अनुसार, प्रस्तावित सजा की आधी सजा भुगत लेना आवश्यक था। इससे जेलों में बंद कई कैदियों को राहत मिलेगी और जेलों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।

कोई गंभीर अपराधों जैसे बालकों के साथ यौन अपराध, बलात्कार, गैररेप आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नैतिकता का आख्यान देकर या शारीरिक न्याय पर धोखे में रखकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

'मोब लिचिंग' का कोई उल्लेख पुराने कानून में नहीं था। अब इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि आने वाले समय में भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को हत्या करने की घटनाएं कम हों।

न्यायिक प्रकरणों में विभिन्न स्तरों पर निरस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे पुलिस को चार्जशीट, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। बहस सुनने के बाद 15 दिन में फैसला सुनाना होगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार, जहां इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से पूरे देश में पुलिस राज स्थापित हो जाएगा। यह कहने का आधार निम्न है :-

वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने में जाने पर उसकी एफआईआर दर्ज किए जाने की अनिवार्यता पुलिस पर थी। अब यह प्रावधान किया गया है कि पहले शिकायत के रूप में उसे पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा और 15 दिन में उस पर अनुसंधान के पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे कई प्रकार के मुकदमे बढ़ने की संभावना है। इस अविधि के दौरान यह संभावना भी है कि कई प्रकार के साक्ष्यों को प्रभावित कर दिया जाए अथवा मिटा दिया जाए, जिससे अपराध की गंभीरता बहुत कम हो जाएगी। इस दृष्टि से पुलिस में प्रशासनिक बढ़ने की आशंका है। जो व्यक्ति पुलिस की स्वार्थ पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसकी एफआईआर दर्ज करने से मना किया जा सकता है। सत्ता का प्रभाव भी इसमें बहुत काम करेगा।

नए कानून में, हालांकि राजद्रोह के अपराध का प्रावधान हटा दिया गया है, किंतु इसके स्थान पर पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लिखने, बोलने या सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी प्रकार की बात करने पर, यदि पुलिस यह समझे कि वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो वह संबंधित व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। यह कोई किसी भी नागरिक द्वारा भी किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि पुलिस किस प्रकार सत्ताधारी दल के इशारे काम करती है। इस प्रावधान का बहुत अधिक दुरुपयोग होने की संभावना है और यह नागरिक के अधिकारों के मौलिक अधिकार का हनन है। पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है और नए प्रावधान के अंतर्गत पुलिस रिमांड की समयवधि भी 15 दिन के स्थान पर 90 दिन कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले और 3 महीने तक अपनी हिरासत में रख सकती है। इस बदलाव को प्रतिगामी कदम के रूप में ही देखा जाएगा।

दृश्य श्रव्य साक्ष्य अर्थात् 'ऑडियो विडियो एविडेंस' और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नए कानून में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि, पुलिस जिसे चाहे उसे किसी अपराध की आड़ में गिरफ्तार कर सकेगी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार पुलिस का उपयोग, विरोधियों को गलत मामलों में फंसाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कुछ प्रतिबंधित पदार्थ जैसे ड्रग्स, किसी के घर में रख दिया जाए और बाद में उनका ऑडियो विडियो एविडेंस के द्वारा बना लिया जाए, तो उस व्यक्ति को न केवल गंभीर अपराध में पुलिस हिरासत में ले सकेगी अपितु यह भी संभावना है कि ऑडियो विडियो एविडेंस के कारण उसे सजा भी हो जाएगी। किसी के कंप्यूटर से कोई ईमेल/कानूनी मेल भेजा जाना दिखाया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का मुख्य प्रभाव यह होगा कि नागरिकों में एक भय व्याप्त होगा। वैसे भी हमारी पुलिस बहुत निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए नहीं जानी जाती है। लाभग 90 प्रतिशत व्यक्ति तो अब, डर के भाव में ही सरकार के किसी निर्णय की आलोचना करने से बचेंगे। कुछ साहसी व्यक्ति जैसे- पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा करने का प्रयास करेंगे भी, उन्हें सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से किसी न किसी बहाने लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को पुलिस राज ही कहा जाएगा।

पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को कानूनन परिभाषित किया गया है। इसमें भी संबंधित थाने को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधि मानते हुए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। जो सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस किस प्रकार से किसी भी कानून का दुरुपयोग कर सकती है, इसका नवीनतम उदाहरण अरुणोदय राय के विरुद्ध 14 साल पुराने मामले में यू ए पी ए के अंतर्गत प्रकरण चलाने की दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दी गई स्वीकृति के रूप में सामने आया है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत यह संभावना अधिक बन जाएगी कि जो भी पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे, उन्हें आतंकवादी मानकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना तब उपयुक्त है जब लोगों का पूरा विश्वास पुलिस में हो और यह विश्वास हो कि वह अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित नहीं करेगी एवं निष्पक्ष रूप से जांच करके अपराधी को सजा दिलवाएगी। इस बारे में राजस्थान के एक पूर्व महानिदेशक ने "अपराधियों में डर, आम जनता में विश्वास" का सूत्र वाक्य दिया था। जब तक ऐसा वास्तव में न हो, तब तक पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

कोलकाता की बार काउंसिल ने नए कानून के लागू होने के विरोध में 1 जुलाई, 2024 को प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था। बार काउंसिल आर्द्रा इंडिया के अध्यक्ष ने एक परिपत्र जारी किया है कि कोई भी बार काउंसिल का सदस्य इस प्रकार के प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेगा। यह एक प्रकार से चेतावनी है कि यदि कोई प्रोटेस्ट में भाग लेगा तो उसकी बार काउंसिल की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।

नए कानूनों को लागू करने से विभिन्न स्तर पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में लंबित आपराधिक प्रकरणों की कुल संख्या देश में 3 करोड़ से अधिक है। लंबित प्रकरणों पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, इस बारे में अस्पष्टता होने पर न्यायालयों में और प्रकरण बढ़ेंगे, जिसके कारण न्याय समय पर मिलने के स्थान पर और अधिक विलंबित होने की आशंका हो जाएगी।

कई दिन याचिकाएं इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। अब देखा यह है कि 8 जुलाई, 2024 को जब शीघ्रपरीक्षा के बाद सर्वोच्च न्यायालय काम करना प्रारंभ करेगा, तब इन याचिकाओं पर उसका क्या दृष्टिकोण रहता है? यदि इन पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तो यह कानून पूरे देश में प्रभावशाली रहेगा। अस्पष्ट है कि राज्य की पुलिस कुछ इस प्रकार से काम करे जिसे उसकी छवि में परिवर्तन हो और लोगों का विश्वास पुलिस में पैदा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नए कानून वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होंगे और आम नागरिकों के लिए यह राहत का कारण बनने के स्थान पर उनके लिए एक आफत का कारण ही बन जाएगा।

सरकार स्वयं भी यदि चाहे तो नए कानून के कुछ प्रावधानों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है, जैसा कि उन्होंने जनवरी 2024 में दूक ड्राइवर की देशव्यापी हड़ताल के कारण नए कानून की धारा 106(2) के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस नियम के अंतर्गत किसी भी वाहन चालक के द्वारा दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल से, भीड़ द्वारा 1 पिटार्ड के डर से, भाग जाने पर, उसे गंभीर अपराध मानते हुए उसे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया।

नए कानूनों को कुछ समय तक स्थगित करने के लिए, कई प्रमुख अधिवक्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने सरकार को प्रतिवेदन भी दिया था, किंतु सरकार ने इन सब की परवाह किए बिना इन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय ले ही लिया है।

यह तो भविष्य ही तय करेगा कि नए कानून आम नागरिक के लिए राहत सिद्ध होते हैं या आफत।

-अतिथि सम्पादक, राजेश भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

## होम्योपैथी सर्व सुलभ, भरोसेमन्द तथा बीमारियों का जड़ से नाश करने वाली एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति

## होम्योपैथी के जनक हैनिमेन जी की पुण्यतिथि पर विशेष



प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना

आज पूरे विश्व में 2 जुलाई, 2024 को होम्योपैथी के जन्मदाता क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन जी को एक सौ इक्कीसवीं (181वीं) पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति का अविष्कार किया जो आज होम्योपैथी के नाम से शहर में अपना परचम लहरा रही है। इस पर शहर के वरिष्ठ अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग-अलग प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरा और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।

हैनिमेन जी स्वयं एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक थे तथा उन्होंने पाया कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कई व काफी बीमारियों को दवा देती है व रोगी पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता व इनकी दवाइयों के दुष्प्रभाव काफी हैं। इनके दुष्प्रभावों को देखते हुए हैनिमेन

जी ने अपना मन बदला व इससे आहत होकर उन्होंने एक नई चिकित्सा विधि होम्योपैथी का अविष्कार किया तथा उन्होंने अपना सारा जीवन होम्योपैथी पद्धति को ही अर्पित कर दिया। होम्योपैथी के प्रति रोगियों का विश्वास काफी बढ़ा है। होम्योपैथी की तरफ भारत सरकार व आयुष विभाग भी ध्यान दे रहा है। अब होम्योपैथी चिकित्सा का परिणाम गंभीर बीमारियों में भी सुखद व अच्छा आ रहा है। यह चिकित्सा पद्धति चिकित्सक के लिये बहुत मेहनत मांगती है। रोगियों की आपातकाल परिस्थितियों में भी कई बार चमत्कारिक रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का परिणाम काफी अच्छा मिलता है। दुनिया भर में लोग इस पद्धति को काफी महत्व दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयों गंभीर महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माता, बच्चों समेत बुजुर्गों के लिये भी सुरक्षित है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग-अलग प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरा और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।


होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय जड़ पकड़ी जब डॉ. जॉन मार्टिन होनिंग बर्गर ने गलेस्वर तंत्रों के पक्षाघात के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉ. होनिंग बर्गर कलकत्ता में रहने लगे और हैजा चिकित्सक के रूप में काफी लोकप्रियता पाई। बाद में डॉ. राजेन्द्र लाल दत्त, डॉ. एम.एल. सरकार जो कि ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे, ने भी होम्योपैथी में प्रेक्टिस करना शुरू किया व डॉ. सरकार ने वर्ष 1868 में प्रथम होम्योपैथिक पत्रिका कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। तदोपरान्त वर्ष 1881 में डॉ. पी.सी. मजुमदार, डॉ. डी.एन. राय व अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक विद्वानों ने मिलकर प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज "कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज" की स्थापना की। राजमर्मा की बीमारियों के लिए यह एक सुरक्षित, आसान व सर्वसुग्राही पद्धति है। लेकिन इसे किसी सुयोग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लेना चाहिए।

होम्योपैथी दवाइयों काफी सस्ती होती है व अन्य पद्धतियों की तुलना में इसका खर्च मात्र 10 से 15 प्रतिशत ही होता है। होम्योपैथी वर्तमान में एक जानी मानी, सर्वाधिक पहचानी जाने वाली महाहर चिकित्सा पद्धति है। जिसकी शुरुआत 1796 में एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक सेमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमेन ने की थी। जो स्वयं एक मशहूर एलोपैथ थे तथा

एलोपैथी के साइड-इफेक्ट व दुष्प्रभावों की वजह से होम्योपैथी की ओर अग्रसीत हुए व वर्ष 1796 में इसका अविष्कार किया। व प्रचार-प्रसार किया व लोगों में विश्वास जगाया तथा 10 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर इसे विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा भी इसे काफी सराहा व बढ़ावा दिया जा रहा है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सम, सम्य, समयति व कांटे से कांटा निकालना इस सिद्धांत पर आधारित है। अतः हर मरीज की बीमारी का इतिहास लक्षणों की आक्रामकता व बीमारी के बारे में जानकर मरीज का इलाज धैर्य पूर्वक शुरू किया जाता है। गंभीर बीमारियों में जैसे फेफड़े, जोड़ों व हड्डी, त्वचा संबंधी यकृत व ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पोलिया रोग आदि में काफी कारगर है। विभिन्न होम्योपैथिक दवाइयों सुप्रशिक्षित चिकित्सक को देखेख में ही रोग व लक्षणों के आधार पर लेनी चाहिए। ना कि अपने आप से शुरू कर दें। व गंभीर रोग तथा बीमारी का कबू से बाहर हो ही तो तत्काल डॉक्टर को दिखाए व सलाह लें। रोजमर्रा व दैनिक जीवन की विषम अवस्थाओं में लक्षणों के आधार पर काम में ली जाने वाली दवाएं, नीचे लिखिए कुछ इस प्रकार हैं।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

-प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, आचार्य एवं वरिष्ठ होम्योपैथ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर।



होम्योपैथी के जनक, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन।

मेडेलिकम, ब्रायोनिया एल्बा, पोडो फायलम, चाईना ऑफिसिनैलिस, अजेंटम नाइट्रिकम, लाईको पोटैशियम, नक्स चोमिका, बरबेरिस व्लोरिस, बेलेडोना, एकोनाईट, अरेनिका मोंटाना, कैफर, सल्फर, सिना, साईलिशिया, थूजा, रसटॉक्स, सीपीया, जैलसिमियम, सेबाल सेरुलेटा, आर्सेनिक एल्बम आदि।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

-प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, आचार्य एवं वरिष्ठ होम्योपैथ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नया खतरा



अशोक कुमार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में समाज के लिए कई संभावित लाभ भी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी मदद करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अध्यायों और समाचारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कुछ खतरों पर प्रकाश डाला गया है:

**अनिर्वाचित बुद्धिमत्ता:** कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतना बुद्धिमान हो सकता है कि वह मानव नियंत्रण से बाहर हो जाए और अपना खुद का एजेंडा बना ले। यह मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है, गलत सूचना फैला सकता है या यहां तक कि युद्ध भी छेड़ सकता है।

**नौकरियों का नुकसान:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि मशीनें उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाती हैं जो वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। इससे व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति हो सकती है।

कुछ नौकरियों जिन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें शामिल

हैं: डेटा प्रविष्टि; कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम डेटा को मानवों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं।

**मैनुअल श्रम:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट पहले से ही निर्माण और भंडारण जैसे उद्योगों में कई कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं।

**ग्राहक सेवा:** चैटबॉट और वरचुअल असिस्टेंट पहले से ही कई ग्राहक सेवा कार्यों को संभाल रहे हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

**परिवहन:** सेल्फ-ड्राइविंग कारें और ट्रक टैक्सी ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों और बस चालकों जैसे कई परिवहन कार्यों को स्वचालित कर सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नौकरियों को खत्म करने के साथ-साथ नई नौकरियों भी पैदा करेगा।

कुछ नई नौकरियां जिनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के साथ मांग बढ़ने की संभावना है, उनमें शामिल हैं: **कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित, बनाए रखने और सुधारने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।

**डेटा वैज्ञानिक:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी।

**रोबोटिक्स इंजीनियर:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।

**नैतिकताविद:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाय, नैतिकताविदों की आवश्यकता होगी। यह भी संभावना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

हानिकारक तरीके से न किया जाए।

**जागरूकता बढ़ाना:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

**शिक्षा और प्रशिक्षण:** लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करने और इसके संभावित खतरों को कम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समाज के लिए गहरा प्रभाव डालने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण काम करें कि इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाए।

**पूर्वाग्रह और भेदभाव:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम पूर्वाग्रहित हो सकते हैं, जो कुछ समूहों के लोगों के साथ भेदभाव का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित भर्ती प्रणाली कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से खारिज कर सकती है यदि वह अतीत में भेदभावपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित है।

**नैतिक दिशा निर्देश:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

**गोपनीयता का उल्लंघन:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्वायत्त हथियार विकसित करना या साइबर हमले करना। इन खतरों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:-

**नैतिक दिशा निर्देश:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

**नियमन:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित और उपयोग करने वाली कंपनियों को विनियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये कानून यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

इस खतरों को कम करने के लिए

## राशिफल मंगलवार 2 जुलाई, 2024



पंडित अनिल शर्मा

आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2081, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 4:40 तक, धृति योग दिन 11:16 तक, बालव करण प्रातः 8:43 तक, चंद्रमा दिन 11:14 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरु-वृष, शुक-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 4:40 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 8:43 से रात्रि 4:40 तक रहेगा। महापात योग दिन 1:06 से सांय 7:10 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:06 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 2:13 तक, शुभ 3:55 से 5:38 तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20

**मेष**  
मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा।  
व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।  
व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**सिंह**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासना प्राप्त होगी। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्य-पश्चात व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।  
व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

**वृष**  
मित्रों/रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकते हैं। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्य-पश्चात व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मिथुन**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा।  
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदंड रहेगी।

**कर्क**  
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलेने वाले कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। दिन के मध्य-पश्चात संभावित खोस से बच पाया होगा।  
आय में वृद्धि होगी।

**वृश्चिक**  
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।  
व्यावसायिक संपर्क बढ़ेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**धनु**  
परिजन के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। दिन के मध्य-पश्चात अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। विवाहित मामलों से राहत मिलेगी।

**धनु**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।  
व्यावसायिक वार्ता सफल होगी।

**मकर**  
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।  
व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

**कुंभ**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।  
व्यावसायिक वार्ता सफल होगी।

**मीन**  
आर्थिक कारणों से अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ मन प्राप्त होगा।  
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता के लिए दिन अच्छा है। घर-परिवार में सुख-सुवि



# Pacific Medical University, Udaipur



(Established by the Rajasthan state legislative assembly by an Act No. 6 of 2014 dated March 04, 2014 & approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956)

## DISCOVER YOUR FUTURE WITH PMU

Pacific Medical University brings you a brilliant opportunity to make a career in medical profession. **Enroll Now.**

Take care of those who need the care most.

Take care of your career.

**100%  
JOB  
ASSURANCE**

**ADMISSION  
OPEN 2024-25**



### COURSE OFFERED

#### PACIFIC DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTER

**BDS** 4 Year  
Eligibility : 10+2 in PCB & NEET

**MDS** 3 Years  
Eligibility : BDS & NEET

#### PACIFIC COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY

**B.P.T.** 4 Years  
Eligibility : 10+2 in (PCB)

**M.P.T.** 2 Years  
Eligibility : B.P.T. with minimum 50% marks

#### MEDICAL & ALLIED

**M.Sc. in Medical** 3 Years  
▪ Anatomy ▪ Physiology ▪ Microbiology  
▪ Biochemistry ▪ Pharmacology  
Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

**M.Phil Clinical Psychology** 3 Years  
Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

#### FACULTY OF LIFE SCIENCE

**B.Sc. in Clinical Embryology** 3 Years  
Eligibility : 10+2 Class with PCB

**M.Sc. in Clinical Embryology** 4 Sem.+  
1 Year Internship  
Eligibility: B.Sc. in any discipline of Life Sciences, Biosciences, Bachelor's degree in any of Physic, Biological Sciences, M.B.B.S, BDS, BAMS, BHMS, B.Pharma.

#### TIRUPATI SCHOOL OF NURSING

**GNM** 3 Years  
Eligibility : 10+2 in (PCB)

#### PACIFIC COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPY

**BOT** 4 Years + 6 Months Internship  
Eligibility : 10+2 in (PCB)

**MOT** 2 Years  
Pediatrics, Neuroscience, Mental Health, Orthopedics, Hand Rehabilitation  
Eligibility : Passed BOT with minimum 50% marks

#### PH.D. & RESEARCH PROGRAMME

Minimum 3 Years  
Eligibility : Post Graduation with 55% marks

1. Ph.D. (Medical)
2. Ph.D. (Nursing)
3. Ph.D. (Physiotherapy)
4. Ph.D. (Dentistry)
5. Ph.D. (Clinical Embryology)
6. Ph.D. (Clinical Psychology)
7. Ph.D. (Occupational Therapy)
8. Ph.D. (Paramedical Sciences)

#### PACIFIC COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES

**DIPLOMA** Duration : 2 Year  
Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology
2. Radiation Technology
3. Operation Theater Technology
4. Cath Lab. Technology
5. Orthopedic Technology
6. Dialysis Technology
7. Emergency & Trauma Care Technology
8. ECG Technology
9. Blood Bank Technology
10. Endoscopy Technology
11. EEG Technology
12. Ophthalmic Technology

**BACHELOR** Duration : 3 Year + 1 Year  
Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology
2. Radiation / Medical Imaging Technology
3. Ophthalmic Technology
4. Operation Theater Technology
5. ECG Technology
6. Endoscopy Technology
7. Emergency & Trauma Care Technology
8. Dialysis Technology
9. EEG Technology
10. Orthopaedic Technology

For More Detail 7877936755

**PACIFIC MEDICAL UNIVERSITY, UDAIPUR**

Bhilo ka bedla, (Amberi) Udaipur, Rajasthan | Ph. Contact : +91 9672978095, 9587892883

info@pacificmedicaluniversity.ac.in

www.pacificmedicaluniversity.ac.in

# फर्जी मार्कशीट मामले में प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी गिरफ्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हुई थी हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा-2022

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी मार्कशीट के मामले में एस.ओ.जी. ने जोधपुर से एक प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर सोमवार को अजमेर स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को चार दिन की रिमांड पर सौंप दिया। एसओजी की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट का सत्यापन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कराना काबूला है। एसओजी अब तक मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जुटी है।

एस.ओ.जी. के एडिशनल एसपी मुकेश सोनी ने बताया कि जोधपुर निवासी सोमेश गोदारा और पाली निवासी सुनील बिस्नोई को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सोमवार



एस.ओ.जी. ने जोधपुर से एक प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर अजमेर स्थित कोर्ट में पेश किया।

को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट मेवाड़ यूनिवर्सिटी से वैरिफिकेशन

करवाना सामने आया है, हालांकि एसओजी दोनों से पूछताछ में जुटी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुशील बिस्नोई बजरी का तथा दूसरा

अन्य दस्तावेज के बारे में ब्याहसपर चर्चा की गई। आरोपी ब्रह्माकुमारी को जिस दिन व्यक्तिगत रूप से आयोग ने बुलाया था उसी दिन भी दोनों के बीच कि बसती पानी के खुले होंद में दो हिरण जूब गये। वहीं एक चिकारा हिरण की दीवार से टकराने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से तीनों के शवों को दफनाया। वन्यजीव प्रेमी सुमेरसिंह भाटी ने बताया कि पीछे आवाज कुत्ते भांगे। आवाज कुत्ते से बचने के लिए चिकारा हिरण भागा मगर चारों तरफ रिज्यू सोलर कंपनी की दीवार होने के कारण चिकारा भाग नहीं सका और दौड़ते हुए दीवार से टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

एस.ओ.जी. ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया

पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट का सत्यापन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कराना काबूला

अन्य दस्तावेज के बारे में ब्याहसपर चर्चा की गई। आरोपी ब्रह्माकुमारी को जिस दिन व्यक्तिगत रूप से आयोग ने बुलाया था उसी दिन भी दोनों के बीच कि बसती पानी के खुले होंद में दो हिरण जूब गये। वहीं एक चिकारा हिरण की दीवार से टकराने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से तीनों के शवों को दफनाया। वन्यजीव प्रेमी सुमेरसिंह भाटी ने बताया कि पीछे आवाज कुत्ते भांगे। आवाज कुत्ते से बचने के लिए चिकारा हिरण भागा मगर चारों तरफ रिज्यू सोलर कंपनी की दीवार होने के कारण चिकारा भाग नहीं सका और दौड़ते हुए दीवार से टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

## नीट-यूजी 2024 के संशोधित रिजल्ट्स जारी

रिजल्ट्स में एलन के 23 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक-1

कोटा, (नि.सं.)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सोमवार को नीट-यूजी 2024 के संशोधित रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। इन परिणामों में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की है। एलन के निदेशक डॉ. ब्रजेश माहेश्वरी ने बताया कि संशोधित नीट परिणामों में टॉप आल इंडिया रैंक-1 परफेक्ट स्कोर और टॉप-100 में एलन स्टूडेंट्स की संख्या देश में सर्वाधिक है। माहेश्वरी ने बताया कि एनटीए की ओर से जारी संशोधित परिणामों में एलन

के 23 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर प्राप्त कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की है। इनमें 15 क्लासरूम तथा 8 स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग से हैं।

टॉप 100 में 37 स्टूडेंट्स एलन से हैं, जिसमें 27 क्लासरूम तथा 10 डिस्टेंस लर्निंग से एलन से जुड़े हैं। संशोधित परिणामों में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने वाले 15 एलन क्लासरूम स्टूडेंट्स में वेद शिंदे, माजिन मंसूर, रूपायन मंडल, प्राचिता, शैलजा, दिव्यांस, शशांक शर्मा, आर्यन शर्मा, कहकशा परवीन, कृष्णमूर्ति पंजक सिवाल, वेद पटेल, माने नेहा कुलदीप, रितिक राव, तेजस सिंह और अभिनव किसना शामिल हैं। इसके साथ ही तथागत अवतार, आरंटीप दाता, इशा कोटारी, उज्यमा मालबारी व मानव प्रियदर्शी एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से तथा आदर्श सिंह, दर्शन पणधर, शिखिन गोयल ने एलन से डिस्टेंस लर्निंग से जुड़कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की।

## दो हिरण और एक चिकारा की मौत

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के देगराय ओरण में सोमवार को तीन हिरणों की दर्दनाक मौत हो गई। दो हिरण पानी के खुले होंद में डूब गये, वहीं एक चिकारा हिरण की दीवार से टकराने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से तीनों के शवों को दफनाया। वन्यजीव प्रेमी सुमेरसिंह भाटी ने बताया कि पीछे आवाज कुत्ते भांगे। आवाज कुत्ते से बचने के लिए चिकारा हिरण भागा मगर चारों तरफ रिज्यू सोलर कंपनी की दीवार होने के कारण चिकारा भाग नहीं सका और दौड़ते हुए दीवार से टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

## सात विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 के सात विषयों एबीएसटी, इंग्लिश, राजस्थानी, एल्पाइड आर्ट, लाइब्रेरियन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा होम साइंस विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। यदि किसी अर्थव्यथी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।

## 25 हजार की रिश्वत लेते दो

कांस्टेबल गिरफ्तार जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के खांडाफलसा थाने के दो कांस्टेबलों को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों कांस्टेबलों ने मुकदमे में मदद के नाम पर मामले में एसीबी को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरडडा ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर एसीबी के उप महानिदेशक हेमन्त महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीवासिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप की कार्रवाई कर 25 हजार की रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा।

मुकदमे में मदद के एवज में जांच अधिकारी के नाम पर रिश्वत मांगी थी

मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली की द्वितीय इकाई ने जोधपुर में कार्रवाई कर खांडाफलसा थाने के कांस्टेबल जैमल राम व कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को परिव्रादी से 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरडडा ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर एसीबी के उप महानिदेशक हेमन्त महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीवासिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप की कार्रवाई कर 25 हजार की रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा।

## वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान बत्ती गुल हुई

अजमेर, (कासं)। देश भर में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हुए, जिसको लेकर जवाहर रंगमंच पर सोमवार को संभाग स्तरीय कार्यक्रम

देश में लागू हुए तीन नए कानून पर अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे सीएम भजनलाल शर्मा

आयोजित हुआ। कानूनों की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। सीएम शर्मा ने जैसे ही भाषण शुरू किया वैसे ही बिजली चली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए कानून को समाप्त कर नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव किए गए कानूनों की जानकारी प्रजटेशन के माध्यम से दी।



जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े।

लागू होने को लेकर ही सोमवार को अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर आयोजित हुआ। समारोह में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, कानूनों के जानकार सहित नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि तीन औपनिवेशिक काल के कानूनों को समाप्त कर नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव किए गए कानूनों की जानकारी प्रजटेशन के माध्यम से दी।



जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े।

अमजन को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में कानून में हुए बदलाव की जानकारी दें। आईजी ने बताया कि इन कानूनों को बदलने का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को आधुनिक व न्यायपूर्ण बनाना है। संभाग स्तरीय कार्यक्रम में एक फिजर टाटा पावर की उदासीनता देखने को मिली। शहर भर में जहां बिजली कटौती से आमजन परेशान है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल

## नये आपराधिक कानूनों के तहत पाली में पहली एफआईआर दर्ज

जयपुर, (नि.सं.)। देश में एक जुलाई से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर (नम्बर 0117) सोमवार को दर्ज की गई। महानिदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत रस्ता रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के संबंध में दर्ज की गई। यह घटना सुबह 7.30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4) एवं 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं बीएनएसएस एवं बीएनएस का सुचारू क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से टूटिजेशन हो गया है। सीसीटीएएस पर बीएनएसएस एवं बीएनएसएस का इंटिग्रेशन पूरा हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

## राई का बाग रेलवे स्टेशन को राईका बाग रेलवे स्टेशन करने की मांग

जोधपुर, (कासं)। राईका समाज सोमवार को प्रशासन की लापरवाही से अपने नाम की खोई पहचान को वापस कायम करने के लिये सड़कों पर उतरा। राईका समाज का आरोप है कि राईका बाग रेलवे स्टेशन जो कि उनके समाज के आसुराम राईका के कारण मिला नाम था, लेकिन वर्तमान सरकार ने राईका बाग रेलवे स्टेशन का नाम राई का बाग कर दिया। समाज के हजारों लोगों ने मेडिकल कॉलेज चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा होकर रैली निकाल कर

अपनी पीड़ा आमजन और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। वहीं बताया कि समय रहते सरकार नहीं चली तो वो अहिंसा का मार्ग भी त्यागने को मजबूर हो सकते हैं। राईका बाग रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद से ही करीब दो साल से राईका समाज आंदोलनरत है लेकिन न तो जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार इस समाज की कोई सुनवाई कर रही है। समाज के वीर रिडमल राईका इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्था के सचिव सुखाराम, कर्पूराराम और

लालसिंह ने राईका ने बताया कि अब समाज पत्र व्यवहार करने की बजाये आंदोलन की राह अपनायेगा जिससे की गुंभी बहरी सरकार इतिहास के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर जागरूक अपनी गलती को सुधार करेगी। राईका समाज के नेताओं ने कहा कि राजकालीन व्यवस्था के दौरान आसुराम राईका की सेवा धाकना के कारण उसको उक्त जमीन देकर सम्पत्ति किया था। बाद में उक्त स्थान जसवंतसिंह की रानी ने जमीन पसंद आने पर आसुराम राईका से जमीन ली और

उस पर बनाये बाग का नाम राईका बाग रखा। बरसों से चल रही परम्परा को कुछ साल पहले न जाने किसी के इशारे पर या मानवीय भूल से राईका बाग रेलवे स्टेशन जंक्शन की बजाये राई का बाग स्टेशन कर दिया, जबकि टिकट और रेलवे की ऑनलाइन पर अभी भी राईकाबाग जंक्शन शो किया जा रहा है। राई का बाग को राईका बाग बनाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश से हजारों राईका समाजबंदियों ने आज परम्परागत वेशभूषा में शामिल होकर अपना प्रदर्शन रेल रैली में शक्ति प्रदर्शन किया।

## गोविंद गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन, समाज सेवा, देश सेवा के एक संस्थान रहे : राज्यपाल मिश्र

सामूहिक सदप्रयासों से विश्वविद्यालय का कायाकल्प होगा : कुलपति ठाकुर

बांसवाड़ा, (नि.सं.)। जनजाति केवल सामाजिक और विषयगत संप्रत्यय नहीं, अपितु एक जीवन-पद्धति और दर्शन है, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समग्र समाज, देश यहां तक की समस्त चराचर जगत के सर्वतोमुखी कल्याण के बीच तंत्र छिपे हैं। इसी जनजाति बाहुव्युषी राजस्थान की भूमि में प्रातः स्मरणयोगी गोविन्द गुरु के आविर्भाव ने पूरे समाज और देश की दिशा ही बदल दी और सदियों तक जीवन के परिष्कार, कुरीतियों से दूर होने एवं अपना सर्वस्व समर्पित करने के वे जीवन मंत्र दिए हैं जो आज भी न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आज भी सभी को प्रेरणा देते हैं। ये विचार सूत्र राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस और विविध कार्यों के लोकार्पण अवसर पर मुख्य अतिथि रूप में व्यक्त किए।

मिश्र ने गोविन्द गुरु और चाण्ड-कांठल क्षेत्र के स्वतंत्रता-सैनानिधि, आंतर शहदों के त्याग और बलिदान प्रति श्रद्धांजलि देते स्पष्ट किया कि गोविन्द गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन, समाज-सेवा, देश-सेवा के एक

राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोविन्द गुरु जनजातीय वि.वि. में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

संस्थान रहे जिन्होंने तत्कालीन समय में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, समाज-सुधार, कुरीतियों के उन्मूलन, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और संस्कृतिकरण संरक्षण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। पूरे अंचल में गोविन्द गुरु का योगदान गहरा और व्यापक है। राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय स्थापना दिवस को आत्मावलोकन का

पर्व बताया हुए कहा कि हम अतीत में किए कार्यों का मूल्यांकन करें, भविष्य को पोट सकती है। हमारी वैदिक विश्वविद्यालय आने वाले समय में विश्व की उत्कृष्ट संस्थान बने। हम यह संकल्प लें कि जनजातीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और संवेदनाओं को देखते हुए आधुनिक शैक्षिक विधियों को अपनाते हुए इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के संवाहक बनें। हमारा जनजातीय क्षेत्र

आज भी विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। शिक्षा सभी तरह की दूरियों को पोट सकती है। हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वर-प्रदत्त संविधान है। हमें जो संरक्षण की पद्धति है, उससे सीख लेने की जरूरत है। जनजातीय क्षेत्र की अपनी परम्पराएँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती आ रही हैं। आज विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि इस संरक्षित धरोहर को सहेजे और

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस और विविध कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित

विकसित करें। पूरा विश्व आज जल-संकट से जूझ रहा है लेकिन हमारी सनातन जीवन और जनजातीय जीवन पद्धति में पानी को सहेजने की जो पद्धति रही है, उस पर सोच करने की आवश्यकता है। इस दिशा में विश्वविद्यालय विशेष ध्यान देकर जनजातीय संस्कृति, समाज और पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में विशेष परियोजनाओं पर काम करें। इस अवसर पर कुलपति प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने विश्वविद्यालय की विगत स्थापना से आज तिथि तक हुई विकास यात्रा की बानगी प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने अत्यंत अल्प समय में ही भौतिक विकास, शोध एवं अकादमिक क्षेत्र में पूरे राज्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज

आवश्यकता है कि इसके सर्वांगीण विकास में सभी योगदान करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस पर तीन कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका, पूर्व सांसद कनकमल कटार टाटा सांसद निधि मद से बनी कैटीन और विश्वविद्यालय के वित्त से निर्मित सभागार का वचुअल लोकार्पण किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने माह अक्टूबर में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और पैसिफिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले 75 वें ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस के बोधार्थ का भी ऑनलाइन विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी सम्बद्धता डॉ. नरेंद्र पानेरी ने और आभार प्रदर्शन कुलसचिव राजेश जोशी ने किया। कार्यक्रम में राजभवन के सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नगर से पधारे गणमान्य शिक्षाविदों, संस्कृतिधर्मियों, संकाय सदस्यों और इंजीनियरिंग कॉलेज-कैम्पस विद्यार्थियों ने सहभागिता की।



**कार्यालय नगर परिषद मुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान**  
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419  
दिनांक :- 27.06.2024

**ई-निविदा सूचना-2024-25 :-**

नगर परिषद मुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजिकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 15.07.2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <https://eproc.rajjasthan.gov.in> से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://www.sppp.raj.gov.in> पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक **DLB2425SLOB01870** है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद मुजानगढ़ के कार्यालय में एच सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है। आयुक्त, नगर परिषद मुजानगढ़

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**  
प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीममाल रोड, जालौर दिनांक-25.06.2024

**ई-निविदा सूचना संख्या 03/2024-25**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रु. 18.35 लाख के 2 सिविल कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रिज्यू इन्फोर्मेटिक्स एवं इन्फोर्मेटिक्स के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण डीआईआईआर की वेबसाइट <http://www.dipronline.org>, <http://eproc.rajjasthan.gov.in> व विभागों/वेबसाइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है। 1. NRH2425WSOB00338, 2. NRH 2425WSOB00339

(राज्यीयसिंह कच्छवाह)  
अधिशाषी अभियन्ता  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर

**कार्यालय नगर परिषद ब्यावर**  
दिनांक - 28.06.2024

**ई-दर सूचना सूचना**

निम्नांकित विवरण के अनुसार ई दर सूचिका ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान पर दिनांक 08.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित है। विस्तृत शर्तें ई दर सूचिका फॉर्म के साथ संलग्न हैं। यह दर सूचिका एसपी.पी.पी. पोर्टल पर एचएम ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर संभव है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोरशि राशि	दर सूचिका फॉर्म शुल्क	दर सूचिका प्रोसेसिंग शुल्क
1.	COMPUTER OPERATOR SERVICES RATE CONTRACT	30.73 लाख	61.480	1000	500

Nb Code : DLB2425A0622  
BID No.: DLB2425SLRC01961

समापति आयुक्त  
नगर परिषद ब्यावर नगर परिषद ब्यावर

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर**  
दिनांक-01.07.2024

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए 02 विभागों के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त विभागों के तहत विभिन्न पदों की वैशालिक योग्यता, पदों की संख्या, वार्षिक वेतन, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अर्जवी अयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रत्येक विस्तृत विवरण का अवलोकन करी उक्त विभागों के तहत विभिन्न पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विभाग संख्या, पदों की संख्या, आवेदन अर्ज व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	विधान संख्या	पदों की संख्या	आवेदन अवधि
1	कंप्यूटर विभाग	उप करपाल	04/2024-25	73 (NS&SA)	08.07.2024 से 06.08.2024
2	कैशियर नियोजन एवं उभित्ता विभाग	उपाचार्य/ज्यूरिफिक ऑफिसियल प्रशिक्षण संयंत्र	05/2024-25	36	10.07.2024 से 08.08.2024

अनुप विद्व. व सूचना-सहायक/युनिवर्सिटी प्रोफेसर, अजमेर प्रकिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित सूचना दिनांक 01.07.2024 को वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आवेदन एवं परीक्षा के लिए अर्जवी अयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रत्येक विस्तृत विवरण का अवलोकन करी उक्त विभागों के तहत विभिन्न पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विभाग संख्या, पदों की संख्या, आवेदन अर्ज व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। समस्त पर्यवेक्षण सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की समन्वित प्रकिया जाए।

राज निवास मेहता, सचिव

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड पोकरण**  
दिनांक-25.06.2024

**निविदा सूचना संख्या 02/2024-25**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन निर्माण/संरक्षण निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संबद्धों/केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रिज्यू इन्फोर्मेटिक्स एवं इन्फोर्मेटिक्स के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ऑन लाईन निविदा मिनेट की पूर्ण तरीके 02.07.2024 से 12.07.2024 तक सायं 6.00 बजे ऑन लाईन निविदा जमा कराने की तारीख 02.07.2024 से 12.07.2024 तक सायं 6.00 बजे निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://www.dipronline.org> एवं निविदा दर्ताशुल्क का विवरण वेबसाइट <https://eproc.rajjasthan.gov.in> पर एवं [www.sppp.raj.gov.in](http://www.sppp.raj.gov.in) पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर ऑनलाइन सम्पत्ति की जायेगी।

NUB CODE PW02425A0380  
BID NO. PW02425WSRC01459, PW02425WSRC01461, PW02425WSRC01462, PW02425WSRC01464, PW02425WSRC01467, PW02425WSRC01470, PW02425WSRC01471, PW02425WSRC01473, PW02425WSRC01478, PW02425WSRC01479, PW02425WSRC01480 (हर्षवर्धन डाबी)

DIPR/C/5102/2024 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड पोकरण

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**  
पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145-2429971, 2429920

दिनांक-28.06.2024

**ई-निविदा सूचना संख्या 07/2024-25 :-**

नगर निगम अजमेर की ओर से नगर निगम अजमेर एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संबद्धों को कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों को राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संबद्धों को समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन ईनिविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यों की कुल लागत	राशि 40.94 लाख (01 कार्य)
ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	Date 29.06.24 से 08.07.24 को 6.00PM तक
Technical निविदा खोलने की तिथि व समय	Date 09.07.24 को 12.30 PM पर
Financial निविदा खोलने की तिथि	सकलतम निविदादाता को उचित माध्यम के द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।

विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajjasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> पर एवं नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।  
NB Code :- ANN2425A0404 UBN No. : ANN2425WSOB00049  
राज.सं.बा.व/सी/24/1468 अधिशाषी अभियन्ता

**जयपुर विकास प्राधिकरण**  
सुन्दर साकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दिनांक- 28.06.2024

**निविदा सूचना**

निविदा सूचना विभाग/अधि.अधि. (मुख्यालय) /02/2024-25

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा "Various renovation and development work at JDA flats Lal Kothi, Malviya Nagar and Sethi colony, JDA, Jaipur for the Year 2024-2025" जिसकी अनुमानित लागत राशि ₹161.84 लाख के लिए ऑनलाइन बिड्स दिनांक 29.06.2024 को प्रातः 9:30 बजे से आमंत्रित की जाती है। निविदा बोली का ऑनलाइन आवेदन व भुगतान जयपुरा पोर्टल पर करने की तिथि 09.07.2024 को सायं 6.00 बजे तक है। निविदा बोली के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण [www.sppp.raj.gov.in](http://www.sppp.raj.gov.in), [www.eproc.rajjasthan.gov.in](http://www.eproc.rajjasthan.gov.in) और [www.jda.urban.rajjasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajjasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है। (UBN No. JDA 2425WSOB0102)

निविदा में भाग लेने वाले बालों को निम्न शर्तों की पूर्ति करनी होगी।

- निविदादाता जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.jda.urban.rajjasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajjasthan.gov.in) पर पं

# खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार को दिए निर्देश

## अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्योंहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए

जयपुर, (का.सं.) राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से केंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए बनाये गये कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि विभाग के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस खाद्य सुरक्षा और एसीएस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप डंड ने ये आदेश इस संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने कहा कि, संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर नियमित सैपल की जांच करें और हर माह के अंत में अदालत में रिपोर्ट पेश कर इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दें। अदालत ने कहा कि आज लोग बहुत

- 'राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्तित करें। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करें'
- 'सीएस और कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य व जिला स्तरीय कमेटी का गठन करें। केन्द्र व राज्य सरकार वेबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए'

सी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त है। ऐसे में हम यह जाने के लिए बहुत कम समय देते हैं कि, जो हम रोज खा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक बिल बनाया गया था, लेकिन उसे अब तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि, सरकार मिलावट

के मुद्दे को गंभीरता से ले, ताकि जीवन बचाया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्योंहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए। अदालत ने मिलावट पर अंकुश लगाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य

स्तरीय कमेटी के साथ-साथ संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा है। अदालत ने जोधपुर और जयपुर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, बार कौंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य वकीलों को कहा है कि वह इस संबंध में अदालत में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की पालना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय व मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजी है। अदालत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से केंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार बीस फीसदी खाद्य पदार्थ मिलावटी या तय मानक स्तर के नहीं हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार 70 फीसदी दूध में पानी मिला होता है। सर्वे में दूध में डिटजेंट भी मिला है। अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 समस्या का पूरी तरह

समाधान नहीं करता। अधिनियम असंगठित क्षेत्र, हॉटर्स आदि पर लागू न होकर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट पर ही लागू होता है। इसके अलावा सैपल जांचने की लेब की भी कमी है। तकनीक के अभाव में खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी नहीं रख पाते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि केन्द्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्तित करें। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करें। सीएस और कलेक्टर ने खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी का गठन। केन्द्र व राज्य सरकार वेबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

## 'संकल्प पत्र' के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की बैठक ली उपमुख्यमंत्री ने

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने संकल्प पत्र-2023 के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार, राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करें। संकल्प पत्र में से 38 बिन्दुओं की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है, शेष बचे सभी वादे जल्द पूरे किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द सोमवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में संकल्प पत्र के 9 थीम पर आधारित 343 बिन्दुओं की क्रियान्विति के लिए इनसे संबंधित 47 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के ऐसे बिन्दु जिनका सीधा सम्बन्ध नजरिह से है उनको प्राथमिकता देकर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी विभाग प्रणाममंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्ग दर्शन में संकल्प पत्र के बिन्दुओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रदेश के वंचित वर्गों सहित आम आदमी के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ सकेगा।

## राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी




मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को जन्म दिन पर श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को फोन कर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने फोन पर राज्यपाल मिश्र के आदर्श व्यक्तित्व और अनुकरणीय बताने हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। राज्यपाल के जन्म दिन पर सोमवार प्रातः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें फोन

कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मोदी ने मिश्र के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं में काम करते हुए उन्होंने शुष्ता के साथ आदर्श जीवन मूल्यों को जिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को

जन्म दिन पर पुष्पगुच्छ के साथ श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की और शॉल, दुग्धु आदि उपहार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मिश्र को जन्म दिन पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा सहित देश के विभिन्न राज्यों से मंत्री, सांसद, विधायक एवं विशिष्टजन ने भी फोन कर बधाई दी।

## डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में भजन संध्या आज



जयपुर (का.सं.) डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में जयपुर के बनीपार्क स्थित बनीपार्क धर्माथ संस्थान में मंगलवार शाम 5 से 6 बजे तक संध्या आयोजित की जायेगी। डॉ. अग्रवाल बेहद संजीवा, लोकप्रिय और समाजसेवी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से 'मास्टर ऑफ सर्जरी' विषय के स्वर्ण पदक विजेता रहे। उन्होंने करीब 2 शक तक प्लास्टिक सर्जरी के निःशुल्क शिविर भी लगाए। डॉ. राहुल अग्रवाल के पिता सतीश चंद्र अग्रवाल जन्मदिन के वरिष्ठ नेता और प्रखर वक्ता थे। वे वर्ष 1977 से 1984 तक दोनो सीट बेल्स लगा रहे थे। बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। सतीश चंद्र अग्रवाल वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे।

कैबिनेट की बैठक आज जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कहीं महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में बजट सत्र में किए जाने वाले विधायी कार्य के अनुमोदन, विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों को लेकर विचार किया जाएगा। तबादला नीति के विभागों के अलग अलग प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी।

## भाजपा विधायक दल की बैठक आज

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही 3 जुलाई से चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ बजट पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाए गए सवालों के जवाब भी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा तैयार करवाए गए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद सदन में पिछली विधानसभा के लंबित सवालों के जवाब भी 3 माह के दौरान पेश करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे में वर्तमान में सदन में लगाए गए सभी सवालों को जवाब समय पर लगाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही नहीं चलने के बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उनके पास सदन में चर्चा के लिए कोई विषय नहीं है।

## मनजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी कमांड की कमान संभाली

जयपुर (का.सं.) लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 1 जुलाई 2024 को प्रेरणा स्थल में एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित कर, जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभाली।



लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह

ज्ञात रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के छात्र हैं। उन्होंने दिसम्बर 1986 में 19 मद्रास में कमीशन लिया। करीब 37 साल के अपने प्रतिष्ठित और शानदार सैन्य करियर में, उन्हें जम्मू कश्मीर और पश्चिमी मोर्चे पर कमांड और स्टाफ नियुक्तियों का गौरव प्राप्त हुआ है। जनरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अपनी बटालियन की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा पर इन्फैंट्री ब्रिगेड, डेजेंड स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में एक इन्फैंट्री डिवीजन और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में नियंत्रण रेखा पर तैनात कोर की कमान भी संभाली।

उनकी विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में तैनात कोर में कर्नल जीएस (आईडब्ल्यू) और कमांड मुख्यालय में कर्नल जीएस (ऑप्स/एयर), बीजीएस (ऑप्स), एमजीजीएस (ऑप्स) और सीओएस शामिल हैं। उनकी अनुदेशात्मक नियुक्तियों में भारतीय सैन्य अकादमी में प्लाटून कमांडर और प्रशिक्षक सीएलसी और भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (इन्स्ट्रू), भूटान में डीएस कोआर्ड शामिल हैं।

## राहुल गांधी का बयान अति निंदनीय : वैष्णव

जयपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिंदगी भर बिना जिम्मेदारी के पावर एंजॉय करने वाले राहुल गांधी ने आज पहली बार जिम्मेदारी का पद ग्रहण करने के बाद भी बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अध्यक्ष पद पर उनका बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और अति निंदनीय है। कांग्रेस और राहुल गांधी का यह पुराना चाल, चरित्र और चेहरा जिसने हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को कमजोर किया है। इससे पहले उन्होंने प्रेस क्लब में अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था।

वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह की लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर सोनिया गांधी चलाती थीं। कांग्रेस वो पार्टी जिसने कमिटेड ज्यूडिशरी की बात की। राहुल गांधी भारतीय संस्कृति से अंधविश्न हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे पर झूठी और भ्रामक बात कही। 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा दुकानों को जन भागीदारी के तहत रीलोकेंट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज

संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताया है। यह बेहद निंदनीय, दुष्प्रभावपूर्ण और पूरे हिंदू समाज का अपमान है। 2010 में इनके तत्कालीन मंत्री पी चिंदबरम ने और 2013 में इनके तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को अतंकवादी बताया था। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को बेहद नीचा किया है। संसद में चर्चा के दौरान हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना किसी भी तरीके से नेता विपक्ष के लिए शोभनीय नहीं है।

## घर के बाहर कार में बैठी स्कूल टीचर से दिनदहाड़े लूट

जयपुर। शिपा पथ इलाके में घर के बाहर कार में बैठी प्राइवेट स्कूल टीचर से बदमाश दिनदहाड़े ज्वेलरी लूट ले गए। पुलिस जानकारी में सामने आया है कि रास्ता पृच्छने के बहाने बाइक सवार तीन बदमाश कार के पास आकर रुके। इसमें से एक बाइक से उतरा और कार में बैठी टीचर के पास गया। रास्ता पृच्छने के बहाने पहले तो गले से चेन तोड़ी, हडबडी में चेन कार में ही गिर गई। इसके बाद बदमाश ने कलाई से ब्रेसलेट खींच ली और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

## मंत्री जोराराम ने लॉन्च किए जयपुर डेयरी के 6 उत्पाद



जयपुर। पशुपालन, डेयरी व गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर सरस डेयरी के 6 उत्पाद लॉन्च किए। उन्होंने जयपुर डेयरी द्वारा चलाई जा रही 'उच्च प्रयोगशाला' द्वारा दूध की गुणवत्ता बनाये रखने को महत्वपूर्ण बताया है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा। जयपुर डेयरी द्वारा उरमूल, बीकारनेर के गाय के दूध 'थार अमृत' को लॉन्च करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि उपभोक्ताओं को गाय का शुद्ध और पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना मुख्य का काम है। गृह एवं गौपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बैदम ने कहा कि राजस्थान में डेयरी विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें तलाशने में सहकारी डेयरियों को महती भूमिका है। प्रमुख शासन सचिव विकास सौताराम भाले ने कहा कि जयपुर डेयरी को गाय के दूध के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त और शुद्ध गाय के घी की लॉन्चिंग करनी चाहिए। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध संचालक सुष्मा आरोड़ा कहा कि आने वाले दिनों में सरस के कुछ और प्रोडक्ट्स की भी लॉन्चिंग की जावेगी, जिसमें ऊंटनी के दूध से बने बिस्कुट और केमल मिल्क

पाउडर शामिल है। जयपुर डेयरी अध्यक्ष ओम पुनिया ने डेयरी के 50 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए पिछले कुछ वर्षों के दौरान जयपुर डेयरी की उपलब्धियों को रेखांकित किया और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने मांग की कि गुजरात की अमूल डेयरी के जैसे जयपुर डेयरी के पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिये ताकि वह अपने ब्यापार से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। जयपुर डेयरी के प्रबन्ध संचालक मनीष फौजदार ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जयपुर डेयरी द्वारा छाछ के दो नये फ्लेवर पोदीना छाछ और तड़का छाछ की लॉन्चिंग के साथ-साथ आईस्क्रीम के तीन नये फ्लेवर वनीला शुरार फ्री, अमेरिकन नट्स और स्टोबेरी की लॉन्चिंग की गई।

## पतंजलि फूड्स लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस का अधिग्रहण किया

जयपुर, (का.सं.) पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के एक अग्रणी एफएमसीजी स्पेस में एक मजबूत ब्रांड डिविजनी और देश भर में एक वफादार उपभोक्ता आधार रखती है। इस एचपीसी व्यवसाय में वर्तमान में चर

प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जिनमें डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर और हेयर केयर शामिल हैं। एचपीसी व्यवसाय के अधिग्रहण की यह रणनीतिक पहल कंपनी के मौजूदा एफएमसीजी उत्पाद के पोर्टफोलियो को प्रतिष्ठित ब्रांडों की एक शृंखला के साथ मजबूत करेगी और राजस्व एवं एबिटा की वृद्धि में भी योगदान देगी।

पीएफएल, पीएएल के संपूर्ण व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के आधार पर अधिग्रहित करने के लिये तैयार है, और इसमें व्यवसाय, संबंधित कर्मचारियों वितरण नेटवर्क, अनुबंधों, लाइसेंसों, परमिटों सहमतियों और इस ऑपरेशन के लिये आवश्यक अनुमोदनों से संबंधित सभी परिस्परिपत्तियां और सेनदारियों शामिल हैं।

एचपीसी व्यवसाय के हस्तांतरण के लिये कंपनी और पीएएल के बीच 1100 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि पर परस्परिक रूप से बातचीत की गई है, जो प्रथागत समायोजन तिथि समायोजन, और कंपनी और पीएएल के बीच निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय हस्तांतरण समझौते में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

## सहकारी समितियां नवाचारों के साथ ग्रामीण जीवन सरल-सुगम बनाएं : गौतम कुमार दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नवाचारों को अपनाना चाहिये, ताकि ग्रामीण जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सके। दक सोमवार को सहकार भवन में एनसीडीसी के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर 54 नये नवाचार हुए हैं। सहकारिता में विकास की अहम संभावनाएं हैं। आज सहकारी समितियां सुपर स्टोर के संचालन के साथ-साथ पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी आदि का संचालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली सहकारी समितियां अपने जिले की अन्य सहकारी समितियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करें एवं उनका सहयोग करें।



सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सोमवार को सहकार भवन में एन.सी.डी.सी. के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण किये।

प्रदेश की 8 सहकारी समितियां उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 से सम्मानित

महिला सहकारी समिति में केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर, को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिये सराधान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये चयनित सोसायटी को एक ट्रॉफी, स्मृति चिह्न तथा 25 हजार रुपये का चेक तथा श्रेष्ठता पुरस्कार के लिये एक ट्रॉफी, स्मृति चिह्न तथा 20 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी, विजय शर्मा सहित पुरस्कृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

## नये जिलों के पुर्णगठन की रिपोर्ट 15 दिन में देगी हाईपावर कमेटी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने निर्देश दिए कि नए जिलों के पुर्णगठन के लिये गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी 15 दिवस के भीतर सभी व्यवहारिक बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए जिलों के गठन का मूल उद्देश्य राजनीति से प्रेरित ना होकर जनहित आधारित होना चाहिये। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा सोमवार को सचिवालय में राज्य विभाग के साथ नए जिलों के पुर्णगठन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए जिलों के पुर्णगठन की प्रक्रिया आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या के आधार पर हो।

## शराब कारोबारी व खनन ठेकेदारों को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश

जयपुर। चित्रकूट नगर थाना पुलिस ने शराब कारोबारी व खनन व्यवसायी को धमकी देकर रंगदारी वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 बदमाशों को दो मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से दो हथियार व 6 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए बड़ी सफलता हासिल कि है। पुलिस ने पूर्व में भी 14 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस और जेल में अपने अपराधी साथियों के उपयोग में लेने के लिए जेल में फँकने के लिए खरीदे गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए थे। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ के सुपरविजन में कैलाश चंद्र विरनोई अतिरिक्त पुलिस अखुंड प्रथम ने बताया कि बताया की जयपुर में संगठित आपराधिक गैंग के नाम पर जांच से मारने की धमकी देकर फिरोती मांगने की बढ रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इस पर चित्रकूट थाना पुलिस ने

विशेष टीम के माध्यम से पूर्व में भी 14 आरोपितों को देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस व जेल में फँकने के लिए खरीदे गए दो मोबाइल फोन बरामद किए थे। चित्रकूट थाना पुलिस ने अजमेर जेल हाई सिक्युरिटी जेल से प्रोडक्सन वॉरंट पर विक्रम गुर्जर (28) गंव बामडा जोहडा, खण्डेला, सीकर निवासी, मुकेश जाट (26) ढाणी लखावाली, गंव अमरसर, शाहपुरा निवासी, कुलदोण चौधरी (33) इन्द्रा कॉलोनी, सुभाष मंडी, नीमकाथाना को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने पुलिस पृष्ठताछ में बताया कि सीकर संभाग एवं आसपास के इलाकों के ठेके तथा खनन कार्य से जुड़े लोगों को धमकी देने व एक्सटोरशन की प्लानिंग की जा रही है। इस पर आरोपितों की धरपकड़ के लिए वैशाली नगर अधिकारी रविंद्र सिंह व चित्रकूट थाना अधिकारी जहोर अब्बास ,दौलतपुर थानाधिकारी मनीष शर्मा, डीएसटी ईचार्ज गणेश नारायण व तकनीकी टीम का विशेष गठन कर

वैशाली नगर पश्चिम द्वार कारंवाई करते हुए सोनू सिंह (25) सुरेली, बनेठा, ठोक निवासी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक रिवाल्वर, एक देशी कट्टा तथा 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सोनू सिंह के सहयोगी लोकेश साहू उर्फ मोदी (27) शेरापुर,सवाईमाधोपुर निवासी, गिरधारी मान गंव रानीपुरा, मानावली ढाणी, शाहपुरा निवासी, हंसराज गुर्जर (19) नागकुण्ड भगोवा, गोकुलपुरा, सीकर निवासी, जयसिंह राव (30) दादिया, अराई अजमेर निवासी, कुलदोण वैष्णव (24) आजाद नगर मदनगंज, किशनगढ़ निवासी को गिरफ्तार किया। पुलिस पृष्ठताछ में सामने आया है कि जय सिंह का काम गैंग को वाहन उपलब्ध करवाना था तथा गैंग के अन्य सदस्य चिन्हित लोगों तथा ठिकानों पर फायरिंग करने की योजना थी। लेकिन पुलिस ने कारंवाई करते हुए आरोपितों की योजना को विफल कर दिया।





# नई बोलेरो जीप का कैलादेवी में पूजन करा गांव लौट रहे 9 जनों की सड़क हादसे में मौत

## करौली मंडरायल रोड पर बोलेरो की ट्रक से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई

करौली, 1 जुलाई (नि.स.)। करौली मंडरायल सड़क मार्ग स्थित डूडापुरा गांव के पास ट्रक और बोलेरो जीप की भिड़ंत में 9 जनों की मौतु हो गई, तीन वर्षीय एक बालिका सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मंडरायल सड़क मार्ग स्थित डूडापुरा गांव की सड़क पर एक ट्रक और बोलेरो जीप को आमने-सामने भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि, भिड़ंत इतनी तेज थी कि, बोलेरो जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों व शवों को कड़ई मशवकत करके निकाला गया।

बताया जा रहा है कि, तहसील मंडरायल के खिरकन गांव निवासी ये लोग गत दिनों खरीदो एक बोलेरो जीप का कैलादेवी गात के मंदिर में पूजन करकर वापस गांव लौट रहे थे। इस दौरान ट्रक के साथ आमने-सामने की

# ‘मेरे पास सदन में माइक बंद कराने की पावर नहीं है’

नई दिल्ली, 1 जुलाई। लोकसभा को संबोधित करते हुए सदन के स्पीकर ओम बिड़ला ने माइक “म्यूट” करने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात कही है। नीट परीक्षा मुद्दे पर संसद को संबोधित करते समय राहुल गांधी का माइक बंद होने के बाद विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था। सत्र के छठे दिन की कार्यवाही के दौरान ओम बिरला ने टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के साथ-साथ लोकसभा में शपथ लेने के दौरान दूसरी टिप्पणियां करने के मुद्दे पर भी बात की।

ओम बिड़ला ने माइक बंद कर देने के सवाल पर कहा, “मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई सांसदों ने माइक म्यूट करने के लिए अध्यक्ष को दोषी ठहराया है। अध्यक्ष सिर्फ उस व्यक्ति का नाम घोषित करते हैं जो बोलना चाहता है और माइक का नियंत्रण अध्यक्ष के पास नहीं होता।” विपक्ष से अध्यक्ष की भूमिका का सम्मान करने का आग्रह करते हुए उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एक ही तरह से सदन चलाते हैं।

### योगी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
हुये अपने विश्वसनीय अधिकारी मनोज कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है तथा बताया जाता है कि उन्होंने इस विषय में पार्टी हाईकमान से परामर्श नहीं किया है। कल तक की स्थिति यह थी कि 1९84 के बैच के आई.ए.एस. अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, जिन्हें कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें मुख्य सचिव के रूप में ढाई साल का सेवा-विस्तार दिया गया था, को चौथी बार सेवा-विस्तार नहीं दिया गया। मिश्रा को चौथी बार सेवा-विस्तार न दिये जाने का राज्य के नौकरशाहों ने

■ **मु.मंत्री योगी ने इस कृत्य से मैसेज दिया कि, वे हाईकमान के घोषित-अघोषित निर्देशों के आगे नहीं झुंकेंगे।**

स्वागत किया है क्योंकि उनके मुख्य सचिव पद पर बने रहने से 1985, 1986 तथा 1987 के बैचों के बहुत से कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नतियाँ प्रभावित हो रही थीं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कुल मिला कर अपनी पसंद के अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया। मनोज कुमार सिंह “टीम योगी” के एक हिस्से के रूप में देखे जाते हैं। वे योगी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर बने चुके हैं।

इसके साथ ही सिंह को मुख्य सचिव नियुक्त करके योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वे पार्टी हाईकमान के हुकम के समक्ष सिर झुकाने को तैयार नहीं हैं।

### मेधा पाटकर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
पाटकर नर्मदा वचनाओ आंदोलन से जुड़ी रही हैं। इससे पहले अदालत ने 7 जून को हुई सुनवाई में मेधा पाटकर को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की थी। इससे पहले अदालत ने कहा था कि सक्सेना को ‘देशभक्त नहीं, बल्कि कायर कहने वाला’ और हवाला लेनेदेन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाने वाला पाटकर का बयान न केवल अपने आप में मानहानि के समान है, बल्कि इसे नकारात्मक धारणा को उकसाने के लिए एक था।

# नई बोलेरो जीप का कैलादेवी में पूजन करा गांव लौट रहे 9 जनों की सड़क हादसे में मौत

- हादसे में एक तीन वर्षीय बालिका सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।**

- भिड़ंत इतनी तेज थी कि, बोलेरो जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।**

भिड़ंत हो गई। मृतकों व घायलों को एंबुलेंस से करौली अस्पताल लाया गया, जहां 9 लोगों की मृत्यु हो गई तथा तीन लोगों को उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया। हादसे में घायल तीन वर्षीय बालिका का करौली अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही करौली जिला कलेक्टर नौलाथ सक्सेना, जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपस्थाय गटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने करौली सामान्य चिकित्सारिय जाकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ.रामकेश मीणा को घायलों

का अच्छा उपचार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी, करौली उप जिला कलेक्टर पिंकी गुर्जर, करौली कोतवाली थाना अधिकारी सुनील के अलावा कई अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में तैनात रहे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामकेश मीणा ने अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों सहित समस्त स्टाफ को तुरंत सक्रिय किया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रविंद्र पुत्र बृजमोहन, मुस्कान पुत्री विमल मीणा निवासी खिरकन को उपचार के लिए जयपुर के सवाई क अच्‍छा उपचार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी, करौली उप जिला कलेक्टर पिंकी गुर्जर, करौली कोतवाली थाना अधिकारी सुनील के अलावा कई अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में तैनात रहे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामकेश मीणा ने अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों सहित समस्त स्टाफ को तुरंत सक्रिय किया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रविंद्र पुत्र बृजमोहन, मुस्कान पुत्री विमल मीणा निवासी खिरकन को उपचार के लिए जयपुर के सवाई

## ‘प्रत्येक शहीद अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा’

नई दिल्ली, 1 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने अग्निवीरों के शहीद होने की स्थिति में उनके परिवजनों को मुआवजा नहीं दिए जाने का दावा किया। कांग्रेस लीडर ने अपने दावे को पुष्टि के लिए किसी शहीद के परिवार से हुईं बातचीत का हवाला दिया। हालांकि, उन्होंने संबंधित शहीद का नाम नहीं बताया। इस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। किसी भी अग्निवीर के शहीद होने की स्थिति में उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को या तो इस दावे को स्थापित करना चाहिए या फिर इस गलतबयानी के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता व केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल को इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, अब हमारे विपक्ष के नेता कुछ ऐसे हैं। जो सभी के साथ भाईचारे का दावा करते हैं। मगर हिंदुओं पर हमला भी बोलते हैं।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने अग्निवीरों के शहीद होने की स्थिति में उनके परिवजनों को मुआवजा नहीं दिए जाने का दावा किया। कांग्रेस लीडर ने अपने दावे को पुष्टि के लिए किसी शहीद के परिवार से हुईं बातचीत का हवाला दिया। हालांकि, उन्होंने संबंधित शहीद का नाम नहीं बताया। इस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। किसी भी अग्निवीर के शहीद होने की स्थिति में उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को या तो इस दावे को स्थापित करना चाहिए या फिर इस गलतबयानी के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता व केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल को इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, अब हमारे विपक्ष के नेता कुछ ऐसे हैं। जो सभी के साथ भाईचारे का दावा करते हैं। मगर हिंदुओं पर हमला भी बोलते हैं।

उन्होंने सदन में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बारबाडोस में आयोजित आईसीसी पुरुष विश्व कप 2024 में उनकी जीत के लिए बधाई भी दी। आज संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

## गहलोत सरकार ने ई.आर.सी.पी. को ...

- इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्ग्रा, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, विधायक कुलदीप धनखड़, जसवंत यादव, हंसराज पटेल नेता मौजूद थे।**

कहा कि हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी के साथ ही शेखावाटी अंचल के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस संझौते में कभी केंद्र सरकार को एक निष्प्रेी तक नहीं लिखा।

शर्मा ने कहा कि विक्टनगर एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगर है। इस क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए सरकार इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि संशोधित केपीसी परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) में कोटपतली-विक्टनगर क्षेत्र के तीन बड़े बांधों छितोली, जवानपुरा धाबाई एवं बुचारा बांध को जोड़ने से इस क्षेत्र की पानी की समस्या दूर होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह और स्व. अटल बिहारी वाजपेयी किसानों की चिंता करते थे। स्व. वाजपेयी ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों का दर्द और पीड़ा समझते हैं। उन्होंने किसान हित में किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, अतिरन क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने जैसे कई फैसले किए हैं।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्ग्रा, राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह, विधायक कुलदीप धनखड़, जसवंत सिंह यादव, हंसराज पटेल सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान और आमजन उपस्थित थे।

# राहुल गांधी व भाजपा के बीच नौक-झोंक...

■ **पर, राहुल ने नौक-झोंक जारी रखते हुए कहा, लोकसभा में आप सबसे वरिष्ठ है।**

■ **पर, ओम बिड़ला ने दोहराया, मेरी संस्कृति में सिखाया है कि, व्यक्तिगत जीवन में व सार्वजनिक जीवन में जो बड़े हैं उनके सम्मुख झुकना चाहिए. जो बराबर के हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिये।**

■ **पर, राहुल जोर देते रहे कि, सदन में स्पीकर से बढ़कर कोई नहीं होता, और सभी सदस्यों को उनके सामने झुकना चाहिये। मैं भी आपके सामने झुकता हूं, बल्कि समस्त विपक्ष झुकता है।**

आकर खुश हैं और गौरवान्वित हूं। हमारे लिए सत्ता से भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण है तो वह है सचा।”

विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें नियमों का हवाला देकर तख्ती दिखाने से रोका। इस पर राहुल गांधी ने

## ‘पिछली केन्द्र सरकार के 17 मंत्री हार गये’

नई दिल्ली, 1 जुलाई। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि असल में संविधान सब पर भारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं था। इससे पहले उन्होंने 1 जुलाई से ही लागू हुए तीन नए

- मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि, 2024 का चुनाव अहंकार तोड़ने वाला रहा। हमको घमंडी बोलते थे, लेकिन इनका घमंड टूट गया।**

आपराधिक कानूनों पर भी सवाल उठाए थे।

खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि, मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, असल में संविधान सब पर भारी है। उन्होंने कहा कि, 2024 का चुनाव अहंकार तोड़ने वाला रहा। हमको घमंडी बोलते थे, लेकिन इनका घमंड टूट गया।

# आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. व भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब गुजरे जमाने की बात हो गये

## एक जुलाई से इन कानूनों का स्थान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ली है

नई दिल्ली, 1 जुलाई। देश की न्यायिक व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल से चली आ रही आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदल गए हैं। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।

यही नहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत देश का पहला केस दिल्ली में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं हो सकी।

वहीं सरकार का कहना है कि अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है। इन नए कानूनों के लागू होने से देश में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं।

## कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर संभावित चर्चा उस समय होने लगी थी, जब एक चोक्किलगा संत ने खुलकर यह वकालत की थी कि डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस मांग के बाद भारी हलचल मच गई थी, यहां तक कि सिद्धारमैया के कुछ खास मंत्रियों ने भी प्रदेश में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था।

ज्ञातव्य है कि जिस समय सिद्धारमैया व शिव कुमार के बीच कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी खींचतान चल रही थी, उस समय डी.के. शिव कुमार ने ही इस बात पर जोर दिया था कि केवल अकेले ही उप मुख्यमंत्री होंगे। उस समय पार्टी हाईकमान ने डी.के.एस. को इस बात से आश्चर्य किया गया था कि केवल वे ही उप मुख्यमंत्री होंगे। समझा जाता है कि कुछ उसके चलते ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

सिद्धारमैया से जब मुख्यमंत्री बदलने की किसी पहल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें फैसले हाईकमान

# राहुल गांधी की टिप्पणियों से आक्रोशित भाजपा ने सदन के भीतर व बाहर विरोध प्रदर्शन किया

## अमित शाह ने सदन में विरोध जताने के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि, राहुल गांधी ने हिन्दुओं को हिंसावादी और झूठ बताया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिये

नई दिल्ली, 1 जुलाई। भाजपा ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उस टिप्पणी को लेकर संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा और नफरत फैलाने” में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, यह गंभीर मामला है कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिसक कह रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग की। हालांकि, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में कहा, “भाजपा, नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पूरा हिंदू समाज नहीं है। हम भी हिंदू हैं।” बाद में केंद्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने राहुल

गांधी पर उनकी टिप्पणी को लेकर पलटवार किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सदन में राहुल पर हमला बोला फिर बाद में सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “हिंदू हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं...., यह बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने भाषण में झूठ और नफरत का मिश्रण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पहले दिन का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह न तो

2024 के जनादेश (उनकी लगातार तीसरी हार) को समझ पाए हैं और न ही उनमें कोई विनम्रता है। नड्डा ने कहा कि गांधी ने देश के मेहनती किसानों और बहादुर सशस्त्र बलों से जुड़े मुद्दों समेत कई मामलों में 'झूठ' बोला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अग्निवीर योजना पर उनके 'झूठे दावे' के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा तथ्यों के साथ खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, “अपनी ओछी राजनीति के लिए वह हमारे किसानों में मुक्त बला बंभा”। नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा 'स्वस्थ बहस' के बारे में होती है लेकिन विपक्ष अपनी 'गलत विजयवाद' में रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी बना हुआ है।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। देश की न्यायिक व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल से चली आ रही आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदल गए हैं। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।

- विपक्षी दलों का कहना है कि, इन कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं हो सका। वहीं सरकार का कहना है कि, अब दंड भी बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है।**

1. इन कानूनों में प्रधानन है कि ट्रायल पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। इसके अलावा पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर ही आरोप तय होने चाहिए।
2. नए कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी थाने में जौरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं हो सकी।

वहीं सरकार का कहना है कि अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है। इन नए कानूनों के लागू होने से देश में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। देश की न्यायिक व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल से चली आ रही आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदल गए हैं। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।

यही नहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत देश का पहला केस दिल्ली में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं हो सकी।

वहीं सरकार का कहना है कि अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है। इन नए कानूनों के लागू होने से देश में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं।

## राहुल गांधी व भाजपा के बीच नौक-झोंक...

प्रस्ताव में भाग लेते हुए गांधी ने लोकसभा की पहली बैठक का उल्लेख किया जब स्पीकर का चुनाव हुआ था तब वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पीकर के पास गए थे और उन्हें आसन तक ले गए थे।

गांधी ने कहा, आप लोकसभा में सबसे बड़े पद पर हैं यहां आपका ही आदेश चलता है। आप जो कहते है उससे भारतीय लोकतंत्र को व्याख्या होती है। आसन पर दो व्यक्ति हैं- एक तो लोकसभा के स्पीकर और दूसरे हैं ओम बिडला।

राहुल ने कहा, “मैंने उस दिन कुछ नोटिस किया, जब आपने मुझे से हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े रहे पर आपने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया तो आप झुक गए।”

इस टिप्पणी पर समूचा सत्ता पक्ष हल्ला करने लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप किया औरा कहा यह तो आसन पर आरोप है। पर बिडला ने कहा

कि वे बड़ों का आदर करने की परम्परा निभाते हैं।

स्पीकर ने अपने जवाब में कहा कि “प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं। मेरी संस्कृति और परम्परा कहती है कि निजी तौर पर हो या सार्वजनिक जीवन में या इस आसन पर, मुझे बड़ों के आगे झुकना चाहिए और जो समान हों उनसे समान व्यवहार करना चाहिए। मैंने यही सीखा है। मैं इस आसन पर बैठकर भी कह सकता हूँ कि बड़ों के आगे झुकना हमारी परम्परा है और मैं उनके पैर भी छू सकता हूँ।”

गांधी ने कहा कि स्पीकर ने जो कहा उसका वे सम्मान करते हैं पर सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है। सदन में सबको आपके आगे झुकना चाहिए। मैं आपके आगे झुकूंगा और सारा विपक्ष भी, गांधी ने कहा, लोकसभा सदस्य होने के नाते हम सभी आपके अधीन हैं, आप जो कहेंगे हम सुनेंगे पर मेरा एक ही निवेदन है कि सदन में निष्पक्षता होना महत्वपूर्ण है।”

<sup>[1]</sup> राष्ट्रदूत ( एचयूपीए ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश्वर शर्मा वलन प्रसे, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू ( राज. ) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-गणेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुघर्म एन.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाकस, छत्रपति विद्याजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाकस, हनुमान हथवा, कानमेरगाँव फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, वदयपुर कार्यालय: आयड में न डेड आउड, वदयपुर फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जौ 1/63, इन्दस्ट्रीयल फ़िया, फेस प्रथम, जालौर। फोन:226422,226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डोलीसिटी कार्यालय :- जौ -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिन्दीनसिटी फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600